

कायलय :- जिला एवं सेशन न्यायालय, जैसलमेर  
:- सूचना :-


समस्त विद्वान अधिवक्तागण, पक्षकारान एवं गवाहन को सूचित किया जाता है कि कोरोना वायरस महामारी के फैलाव को रोकने के लिए इस न्यायालय के समस्त नियमित प्रकरण निम्नलिखित तारीख पेशी से आगामी तारीख पेशी के लिए नियत किए जाते है-

क्र.सं	पूर्व से नियत तारीख पेशी	आगामी नियत तारीख पेशी	
		फौजदारी प्रकरण	दीवानी प्रकरण
01	01.04.2020	26.05.2020	26.05.2020
02	03.04.2020	27.05.2020	27.05.2020
03	04.04.2020	28.05.2020	28.05.2020
04	07.04.2020	29.05.2020	29.05.2020
05	08.04.2020	30.05.2020	30.05.2020
06	09.04.2020	01.06.2020	01.07.2020
07	13.04.2020	02.06.2020	02.07.2020

नोट- जिन प्रकरणों में अभियुक्त न्यायिक अभिरक्षा में है, उनकी पत्रावलिया निम्नानुसार नियत की जाती है-

क्र.सं.	किस्म प्रकरण एवं प्रकरण संख्या	अनवान	आगामी तारीख पेशी
01	सी.आर. नं. 04/20 पीएस मोहनगढ	स/सुरजाराम वगैरा	27.04.2020
02.	सेशन केस नंबर 131/2019 (सी. आर. नं. 76/19 पीएस सांगड)	स/अमरदान	28.04.2020
03.	सेशन केस 63/18 (सी.आर.नंबर 50/18 पीएस मोहनगढ)	स/अचलाराम	28.04.2020
04.	सी.आर. नं. 07/20 पीएस मोहनगढ	स/तिलोकाराम	29.04.2020
05.	सी.आर. नं. 08/20 पीएस मोहनगढ	स/श्रवण कुमार	29.04.2020
06.	सेशन केस 126/19 (सी.आर.नंबर 266/19 पीएस कोतवाली)	स/श्यामसिंह वगैरा	29.04.2020

नोट - नोटिस के जरिये दी गई तारीख पेशी से यदि कोई अधिवक्ता अथवा पक्षकार अपने मामले को आवश्यक सुनवाई योग्य मानता है तथा उसकी आवश्यक सुनवाई करवाना चाहता है तो इस आशय का प्रार्थना - पत्र प्रस्तावित सुनवाई के एक दिन पूर्व संबंधित न्यायालय में प्रस्तुत करेगा। यदि पीठासीन अधिकारी उक्त मालमा आवश्यक प्रकृति का समझता है तो उस मामले की सुनवाई आवश्यक प्रकृति के तहत की जावेगी।

  
जिला एवं सेशन न्यायाधीश,  
जैसलमेर

# न्यायालय, न्यायाधीश, पारिवारिक न्यायालय, जैसलमेर

## ::सूचना ::

समस्त विद्वान अधिवक्तागण एवं पक्षकारान को सूचित किया जाता है कि कोरोना वायरस महामारी के फेलाव को रोकने के लिए इस न्यायालय के समस्त नियमित प्रकरण निम्नलिखित तारीख पेशी से आगामी तारीख पेशी के लिए नियत किये जाते हैं:-

क्र.सं.	पूर्व से नियत तारीख पेशी	आगामी नियत तारीख पेशी
1	01.04.2020	28.04.2020
2	03.04.2020	29.04.2020
3	04.04.2020	30.04.2020
4	07.04.2020	01.05.2020
5	08.04.2020	02.05.2020
6	09.04.2020	04.05.2020
7	13.04.2020	05.05.2020

नोट:- नोटिस के जरिये दी गई तारीख पेशी में यदि कोई अधिवक्ता अथवा पक्षकार अपने मामले को आवश्यक सुनवाई योग्य मानता है तथा उसकी आवश्यक सुनवाई करवाना चाहता है तो इस आशय का प्रार्थना-पत्र प्रस्तावित सुनवाई के एक दिन पूर्व न्यायालय में प्रस्तुत करेगा। यदि पीठासीन अधिकारी को उक्त मामला आवश्यक प्रकृति का लगता है तो उक्त मामले की सुनवाई आवश्यक प्रकृति के तहत की जा सकेगी।



न्यायाधीश  
पारिवारिक न्यायालय  
जैसलमेर

**न्यायालय : विशेष न्यायाधीश, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 एवं बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005**  
**जैसलमेर।**

**-: सूचना :-**

**समस्त विद्वान अधिवक्तागण एवं पक्षकारान को सूचित किया जाता है कि कोरोना वायरस महामारी के फैलाव को रोकने के लिए इस न्यायालय के समस्त नियमित प्रकरण निम्नलिखित तारीख पेशी से आगामी तारीख पेशी के लिए नियत किये जाते हैं :-**

क्रम संख्या	पूर्व से नियत तारीख पेशी	आगामी नियत तारीख पेशी
01	01.04.2020	21.04.2020
02	03.04.2020	22.04.2020
03	04.04.2020	23.04.2020
04	07.04.2020	23.04.2020
05	13.04.2020	20.04.2020

नोट :- 01. दिनांक 03.04.2020 को नियत सेशन प्रकरण संख्या 19/19 स/सुरेश कुमार को दिनांक 21.04.2020 , दिनांक 04.04.2020 को नियत सेशन प्रकरण 24/2019 स/रमजान खां को दिनांक 15.04.2020 तथा दिनांक 07.04.2020 को नियत सेशन प्रकरण संख्या 07/2020 स/नरेन्द्रसिंह को दिनांक 16.04.2020 को आगामी तारीख पेशी नियत की गयी है।

02. नोटिस के जरिये दी गयी तारीख पेशी में यदि कोई अधिवक्ता अथवा पक्षकार अपने मामले की आवश्यक सुनवाई योग्य मानता है तथा उसकी आवश्यक सुनवाई करवाना चाहता है तो इस आशय का प्रार्थना-पत्र प्रस्तावित सुनवाई के एक दिन पूर्व न्यायालय में प्रस्तुत करेगा। यदि पीठासीन अधिकारी को उक्त मामला आवश्यक प्रकृति का लगता है तो उक्त मामले की सुनवाई आवश्यक प्रकृति के तहत की जा सकेगी।



विशेष न्यायाधीश,  
लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 एवं  
बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005  
जैसलमेर।

न्यायालय : विशिष्ठ न्यायाधीश, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति  
(अत्याचार निवारण) न्यायालय जैसलमेर।

-: सूचना :-

दिनांक :- 31.03.2020

सभी पक्षकारान एवं अधिवक्तागण को सूचित किया जाता है कि माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर के आदेश क्रमांक सामान्य/15/43/2020/2604 दिनांक 29.03.2020 के अनुसरण में कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिये न्यायालय में दिनांक 01.04.2020 से दिनांक 15.04.2020 तक के नियमित सेशन प्रकरणों की सुनवाई निम्न सूची अनुसार तारीख पेशी पर की जावेगी ।

क्र. सं.	पूर्व में नियत तारीख पेशी	आगामी नियत तारीख पेशी
01	01.04.2020	15.04.2020
02	03.04.2020	04.05.2020
03	04.04.2020	05.05.2020
04	07.04.2020	06.05.2020
05	08.04.2020	07.05.2020
06	09.04.2020	11.05.2020
07	13.04.2020	12.05.2020

नोट : नोटिस के जरिये दी गई तारीख पेशी से यदि कोई अधिवक्ता अथवा पक्षकार अपने मामले को आवश्यक सुनवाई योग्य मानता है तथा उसकी आवश्यक सुनवाई करवाना चाहता है तो इस आशय का प्रार्थना पत्र प्रस्तावित सुनवाई के एक दिन पूर्व संबंधित न्यायालय में प्रस्तुत करेगा। यदि पीठासीन अधिकारी उक्त मामला आवश्यक प्रकृति का समझता है तो उस मामले की सुनवाई आवश्यक प्रकृति के तहत की जा सकेगी।

विशिष्ठ न्यायाधीश,  
अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति,  
(अत्याचार निवारण), न्यायालय, जैसलमेर

# न्यायालय: अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, जैसलमेर

-: सूचना :-

दिनांक 31.03.2020

सभी विद्वान अधिवक्तागण, पक्षकारान एवं गवाहान को सूचित किया जाता है कि माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर के परिपत्र क्रमांक 11/पी.आई./2020 दिनांक 22.03.2020, 12/पी.आई./2020 दिनांक 24.03.2020 व पत्रांक Gen./xv/43/2020/2604 दिनांक 29.03.2020 तथा श्रीमान् जिला एवं सेशन न्यायाधीश, जैसलमेर के कार्यालय आदेश संख्या 33 दिनांक 30.03.2020 में दिये दिशा निर्देशों की पालनार्थ कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए इस न्यायालय में दिनांक 01.04.2020 से दिनांक 14.04.2020 तक केवल अत्यावश्यक प्रवृत्ति के मामलों की सुनवाई ही होगी। इसके अतिरिक्त पूर्व में नियत नियमित फौजदारी व दीवानी प्रकरणों की सुनवाई निम्न सूची अनुसार आगामी तारीख पेशी पर की जावेगी:-

क्र. सं.	पूर्व से नियत तारीख पेशी	आगामी नियम तारीख पेशी
1	01.04.2020	01.05.2020
2	03.04.2020	02.05.2020
3	04.04.2020	04.05.2020
4	07.04.2020	05.05.2020
5	08.04.2020	06.05.2020
6	09.04.2020	07.05.2020
7	13.04.2020	08.05.2020

नोट:- नोटिस के जरिये दी गयी तारीख पेशी से यदि कोई अधिवक्ता अथवा पक्षकार अपने मामले को आवश्यक सुनवाई योग्य मानता है तथा उसकी आवश्यक सुनवाई करवाना चाहता है तो इस आशय का प्रार्थना पत्र प्रस्तावित सुनवाई के एक दिन पूर्व संबंधित न्यायालय में प्रस्तुत करेगा। यदि पीठासीन अधिकारी उक्त मामला आवश्यक प्रकृति का समझता है तो उक्त मामले की सुनवाई आवश्यक प्रकृति के तहत की जावेगी।

अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश,  
जैसलमेर।

## न्यायालय: वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जैसलमेर


### सूचना

दिनांक 30.03.2020

सभी पक्षकारान व अधिवक्तागण को सूचित किया जाता है कि माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर के आदेश क्रमांक सामान्य/15/43/2020/2604 दिनांक 29.03.2020 के अनुसरण में कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए न्यायालय में दिनांक 01.04.2020 से दिनांक 14.04.2020 तक केवल अत्यावश्यक प्रवृत्ति के मामलों की सुनवाई ही होगी। इसके अतिरिक्त पूर्व में नियत नियमित फौजदारी व दीवानी प्रकरणों की सुनवाई निम्न सूची अनुसार आगामी तारीख पेशी पर की जावेगी:-

क्र. सं.	पूर्व से नियत तारीख पेशी	आगामी नियत तारीख पेशी फौजदारी प्रकरण	आगामी नियत तारीख पेशी दीवानी प्रकरण	जिन प्रकरणों में अभियुक्त न्यायिक अभिरक्षा में है उनके लिए आगामी नियत तारीख पेशी	बहस अंतिम में नियत प्रकरण फौजदारी एवं दीवानी की आगामी तारीख पेशी
1	01.04.2020	09.06.2020	29.04.2020	15.04.2020	02.05.2020
2	03.04.2020	10.06.2020	11.05.2020	16.04.2020	04.05.2020
3	04.04.2020	11.06.2020	12.05.2020	18.04.2020	05.05.2020
4	07.04.2020	16.06.2020	16.05.2020	21.04.2020	06.05.2020
5	08.04.2020	17.06.2020	30.05.2020	22.04.2020	07.05.2020
6	09.04.2020	18.06.2020	30.05.2020	23.04.2020	11.05.2020

नोट:- नोटिस के जरिये दी गई तारीख पेशी से यदि कोई अधिवक्ता अथवा पक्षकार अपने मामले को आवश्यक सुनवाई योग्य मानता है तथा उसकी आवश्यक सुनवाई करवाना चाहता है तो इस आशय का प्रार्थना पत्र प्रस्तावित सुनवाई के एक दिन पूर्व संबंधित न्यायालय में प्रस्तुत करेगा। यदि पीठासीन अधिकारी उक्त मामला आवश्यक प्रकृति का समझता है तो उस मामले की सुनवाई आवश्यक प्रकृति के तहत की जा सकेगी। श्रीमान् जिला एवं सेशन न्यायाधीश, जैसलमेर के आदेशानुसार दिनांक 13.04.2020 का स्थानीय अवकाश घोषित किया गया है। अतः दिनांक 13.04.2020 को रखे गये नियमित प्रकरणों की सुनवायी आगामी कार्य दिवस दिनांक 15.04.2020 को की जावेगी।

  
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट  
जैसलमेर

**न्यायालय:- सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट जैसलमेर**

**सूचना**

दिनांक 30.03.2020

सभी पक्षकारान् एवं अधिवक्तागण को सूचित किया जाता है कि माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर के परिपत्र क्रमांक 12/पी0आई/2020 दिनांक 24.03.2020 व माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर के पत्रांक Gen/XV/43/2020/2604 Date 29-03-2020 व माननीय जिला एवं सेशन न्यायाधीश जैसलमेर के पत्रांक 680-89 दिनांक 30.03.2020 के अनुसारण में कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए न्यायालय में दिनांक 01.04.2020 से दिनांक 14.04.2020 तक के नियमित फौजदारी व दीवानी प्रकरणों की सुनवाई निम्न सूची अनुसार तारीख पेशी पर की जायेगी।

क्र0स0	पूर्व में नियत तारीख पेशी	आगामी नियत तारीख पेशी	जिन प्रकरणों में अभियुक्त न्यायिक अभिरक्षा में हैं उनके लिए आगामी तारीख पेशी
01	01.04.2020	14.07.2020	-
02	03.04.2020	15.07.2020	-
03	04.04.2020	16.07.2020	-
04	07.04.2020	17.07.2020	-
05	08.04.2020	18.07.2020	-
06	09.04.2020	20.07.2020	जैसी अवधि बढ़ाने के लिए 24.04.20
07	13.04.2020	21.07.2020	-

नोट:- नोटिस के जरिये दी गई तारीख पेशी से यदि कोई अधिवक्ता अथवा पक्षकार अपने मामले को आवश्यक सुनवाई योग्य मानता है तथा उसकी आवश्यक सुनवाई करवाना चाहता है तो इस आशय का प्रार्थना पत्र प्रस्तावित सुनवाई के एक दिन पूर्व संबंधित न्यायालय की ई-मेल आईडी (cjm-jai-rj@hcrj.nic.in) पर प्रस्तुत करेगा। यदि पीठासीन अधिकारी उक्त मार्गसे आवश्यक प्रकृति का समझता है तो उस मामले की सुनवाई आवश्यक प्रकृति के तहत की जा सकेगी।

सिविल न्यायाधीश  
एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट  
जैसलमेर